कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2021

थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त संतोष गिरी गिरफ्तार

आज दिनांक 11.09.2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे मु0अ0सं-182/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुरा के वांछित अभियुक्त सन्तोष गिरी पुत्र दयाशंकर गिरि निवासी गोहुरा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- अभियुक्त का एक संगठीत गिरोह है अपने साथियो के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए गिरोह बनाकर संगठित ढंग से पशुओ गाय,बैल की वध हेतु तस्करी बिहार एवं बंगाल में करता है उक्त करोबार की अवैध कमाई से अपना आर्थिक एवं भौतिक सम्राज्य खड़ा किया है। इनके उक्त कार्य से समाज में आक्रोश रहता है जिससे समाजिक सदभाव बिगड़ सकता है। इनके भय एवं आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में गवाही देने की हिम्मत नही करता है इनके द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप का कार्य गोवध निवारण अधिनियम जैसे अपराध कारित किया जाता है। इनका समाज में स्वछंद एवं स्वतंत्र विचरण उचित नही है इनके विरुद्ध इनकी अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने के लिए दिनांक 31.08.21 को अनुमोदित होकर गैंग चार्ट व वादी शशिभूषण राय प्रभारी निरीक्षक थाना-जैतपुरा वाराणसी के तहरीर के आधार पर अभियुक्त-संतोष गिरी पुत्र दयाशंकर गिरी निवासी गोहुरा थाना चोलापुर वाराणसी के विरुद्ध मु0अ0सं-182/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना परमहंस गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज द्वारा संपादित की जा रही है,अभियुक्त उक्त मुकदमें में वाछित था जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

सन्तोष गिरी पुत्र दयाशंकर गिरि निवासी गोहुरा थाना चोलापुर जनपद वाराणसी,उम्र करीब-40 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु.अ.सं- 134/21 धारा -3/5ए/8/5बी गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना जैतपुरा वाराणसी ।

2. मु0अ0सं0 182/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. वरिष्ठ उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 सन्तोष यादव थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 विजय शंकर सिंह थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 गणेश राय व का0 दिवाकर प्रजापति थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी